भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5375
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

5375. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल की कटाई के पश्चात अवसंरचना के निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नुकसान को कम करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत शीतागारों और प्रशीतन सुविधा-युक्त वाहनों सहित खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमकेएसवाई के तहत गैर-ओडीएस (ओजोन क्षयकारी पदार्थ) और कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (जीडब्ल्यूपी) रेफ्रिजरेंट सहित कोल्ड चेन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुपालन संबंधी अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सतत और ऊर्जा-दक्ष शीतलन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सहायता अनुदान जारी करने के लिए राज्य-स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और फसलोपरांत नुकसान में कमी लाने के लिए फसलोपरांत अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाएं बनाने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएं उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कैप्टिव उपयोग के लिए कोल्ड स्टोरेज और फसलोपरांत नुकसान को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटेड वाहन शामिल हैं।

(ख): पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शीतगृहों और प्रशीतित वाहनों सहित खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) और (घ): पीएमकेएसवाई घटक योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। ये आवश्यकताएं ऊर्जा-कुशल शीतलन प्रणालियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले गैर-ओडीएस (गैर-ओजोन क्षयकारी पदार्थ) और कम जीडब्ल्यूपी (कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता) रेफ्रिजरेंट का उपयोग करती हैं।

इसके अलावा, कोल्ड चेन योजना सहित पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं के तहत, परियोजना के लिए अक्षय/वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर, बायोमास , पवन, आदि) के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है (अधिकतम पात्र अनुमेय लागत प्रति परियोजना 35 लाख रुपये है)। सौर/बायोमास संचालित शीतलन प्रणालियाँ वहनीयता और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करती हैं। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरणीय वहनीयता को बढ़ावा देना है। देश भर से पात्र संस्थाएँ आवेदन कर सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं ।

(ङ): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय लागू किए हैं कि राज्य स्तरीय परियोजनाएं अनुदान-सहायता जारी करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन करें। एक प्रमुख आवश्यकता यह है कि परियोजना प्रस्तावकों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या एजेंसी से जल और वायु गुणवत्ता मानकों का समाधान करते हुए "संचालन की सहमति" (सीटीओ) प्राप्त करनी है। यह सीटीओ स्वीकृत परियोजनाओं को अनुदान-सहायता/सब्सिडी की किस्त जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में कार्य करता है।

******

अनुबंध

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु"पीएमकेएसवाई कार्यान्वयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5375 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत सहायता का स्वरूप:

i . **एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना:** सामान्य क्षेत्र में परियोजना के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से तथा कठिन क्षेत्र के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता तीन बराबर किस्तों में जारी की जाएगी।

ii. **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना** : इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी में पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता तीन बराबर किस्तों में जारी की जाती है।

iii. **खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार:** इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी में पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता दो बराबर किस्तों में जारी की जाती है।

iv. **खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना:** सरकारी संगठनों के लिए अनुदान 100% है, निजी संगठनों के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 50% तथा दुर्गम क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 70% है।

v. **ऑपरेशन ग्रीन्स योजना:** सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी और कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी। एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; और स्टैंडअलोन पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।

vi. **प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास योजना:** सरकारी संगठन के लिए अनुदान पात्र परियोजना लागत का 100% है और निजी संगठन के लिए यह सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% और कठिन क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 70% है ।

*****